आवेदन क्रमांक आवेदन प्रपत्र मुल्य रू. 1000.00

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल

Hkksiky ftys ds fy, lkaph ?kh foØ; gsrq lqijLVkfdLV vkosnu i= o"k !"!#$!%

Hkksiky lgdkjh nq&'k la'k);kfnr*
Hkksiky
Hkksiky +sjh ,ykV* g-h-.qt* Hkksiky $
%/!"!%
nqjHkk"k $ "122$!%3#442
5S6l 7"1228 !%2"34/
9$)sy$**sanchi.bhopal@gmail.com**
os-lkbV $ **www.sanchi.dairy.com**

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
डेयरी प्लांट, हबीबगंज भोपाल– 462024
फोन :– (0755) 2481995 से 253 फेक्स :– 0755 – 2450896
e-mail : sanchi.bhopal@gmail.com

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

भोपाल जिले में साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवेदन प्रपत्र

भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित भोपाल द्वारा **भोपाल जिले** में साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ एवं अनुभवी **सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी** से तीन वर्ष की अवधि के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते है, जो कि कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक–एक वर्ष कर अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी। आवेदन प्रपत्र एवं नियम शर्तो का प्रारूप एवं विवरण एमपीसीडीएफ की वेबसाइट **www.mpcdf.gov.in** एवं दुग्ध संघ की वेबसाइट **www.sanchidairy.com** से डाउनलोड किये जा सकते हैं। आवेदन प्रपत्र संघ कार्यालय से दिनांक 05.03.2021 से दिनांक 25.03.2021 तक कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 से सायं 4:00 बजे तक नगद राशि रू. 1000/–(एक हजार रूपये मात्र) जमा कर प्राप्त किये जा सकते है तथा ई.एम.डी. राशि रू. 100000/– (एक लाख रूपये मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट **''भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल''** के नाम से भोपाल में भुगतान योग्य बनाकर आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र दिनांक 26.03.2021 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे, जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे उपस्थित आवेदनकर्ता/अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष दुग्ध संघ कार्यालय हबीबगंज भोपाल में खोले जायेंगे। किसी भी आवेदन को सकारण स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित होगा। **आवेदन प्रपत्र में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शायी गई वेबसाइट्स पर ही अपलोड किया जावेगा, अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नही होगा। अतः आवेदनकर्ता निरंतर वेबसाइट का अवलोकन करें। वर्तमान में दुग्ध संघ से वितरक/वितरक सह–परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता व अन्य रूप में अनुबंधित किसी भी सोल प्रोप्राईटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को इस अभिरूचि की अभिव्यक्ति में आवेदन करने हेतु भोपाल दुग्ध संघ से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

Hkkiky lgdkjh n|&'k l|?k);kfnr
vkonu i|i= dk dk;Ø) i|i=k| dh tkudkjh

1	आवेदन प्रपत्र विक्रय आरंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 05.03.2021 प्रातः 10:30 बजे से
2	आवेदन प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	25.03.2021 सांय 04:00 बजे तक
3	आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि एवं समय	26.03.2021 को प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक
4	आवेदन खोलने की तिथि एवं समय	26.03.2021 अपरान्ह 3:00 बजे
5	आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	1,00,000/– (एक लाख मात्र) का डी.डी. भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल पेयबल एट भोपाल के नाम से देय हो।
6	आवेदन प्रपत्र का मूल्य	रूपये 1000/– (एक हजार मात्र)
7	आवेदन खोलने का स्थान एवं पता	कार्यालय भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल
8	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवश्यक अर्हताएं	प्रपत्र – 01
9	सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु आवंटन एवं अनुबंध की शर्तें।	प्रपत्र – 02
10	सुपर स्टॉकिस्ट चयन हेतु अंक तालिका।	प्रपत्र – 03
11	आवेदन प्रपत्र	प्रपत्र – 04
12	अनुबंध की शर्तों का प्रारूप	प्रपत्र – 05
13	दर संरचना	प्रपत्र – 06
14	सुपरस्टॉकिस्ट हेतु साँची घी विक्रय लक्ष्य वर्ष 2021–22	प्रपत्र – 07

आवेदन प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :–

- प्रपत्र क्रमांक 01 ''आवश्यक अर्हताएं'' प्रपत्र क्रमांक 02 ''आवंटन एवं अनुबंध की शर्तें'' एवं प्रपत्र क्रमांक 4 ''आवेदन प्रपत्र'' एक साथ एक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जावे, एवं लिफाफे पर **भोपाल जिले हेतु ''साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन**'' लिखा जावे साथ ही लिफाफे पर प्रेषक का नाम पता अंकित किया जावे।
- ई.एम.डी. राशि रू.100000/– (एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है। पूर्ण दस्तावेज एवं ई.एम.डी. राशि के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन मान्य नहीं किये जावेंगे।
- आवेदन में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त आवेदनकर्ता की ओर से उल्लेखित कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावेगी।
- आवेदनकर्ता द्वारा प्रपत्र – 01, 02, 03 एवं 04 के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात ही आवेदन प्रस्तुत किया जावे। हस्ताक्षर के बिना प्रस्तुत किये गये आवेदन अमान्य किये जायेंगे।

प्रपत्र 01

आवश्यक अर्हताएं

क्र.	आवश्यक अहर्ताएं	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्वप्रमाणित दस्तावेज
1.	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) है।		प्रोप्राइटर पंजीयन प्रमाण पत्र / पार्टनरशिप डीड / पंजीयन प्रमाणपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का पेन कार्ड नम्बर होना अनिवार्य है।		पेन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें
3	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी) का जी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।		जी.एस.टी. नम्बर की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
4	साँची घी वितरण हेतु उपलब्ध कवर्ड वाहन की उपलब्धता / संख्या		उपलब्ध वाहन स्वंय का होने पर पंजीयन एवं अनुबंधित वाहन होने की दशा में अनुबंध पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति लगावें।
5	साँची घी के भण्डारण हेतु न्यूनतम 10 मे.टन क्षमता का गोडाउन होना अनिवार्य है।		भण्डारण हेतु उपलब्ध गोडाउन के दस्तावेज़ संलग्न करें।
6	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी बैंक का नाम व खाता क्रमांक।		बैंक खाते का एक निरस्त मूल चेक सलंग्न करें।
7	वित्तीय वर्ष 2018–19 (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग को प्रस्तुत की गई वित्तीय वर्ष 2018–19, (कर निर्धारण वर्ष 2019–20) आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण CA (चार्टेड एकाउटेंट) द्वारा प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
8	उपयुक्त श्रेणी का वैध FSSAI लायसेन्स होना अनिवार्य होगा। (वितरण संबंधी)		FSSAI लायसेन्स की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
9	निर्धारित टर्नओवर 35 करोड़ (कुल तीन वर्षों का संयुक्त रूप से)		तीन वर्षों की बैलेंस शीट सीए द्वारा सत्यापित प्रति। संलग्न करें।
10	ई.एम.डी. राशि रू.100000 / – (एक लाख मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करें।		भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के नाम देय मूल डी.डी. संलग्न करें।
11	आवेदन पत्र के मूल्य की एम.आर. (आवेदन की राशि रू.1000 / – भोपाल दुग्ध संघ कार्यालय में नगद जमा कर आवेदन प्राप्त कर आवेदन के साथ एम.आर संलग्न करें।)		रू.1000 / – की नगद जमा पावती (एम.आर) की मूल प्रति संलग्न करें।
12	एफ.एम.सी.जी वितरक कार्य का अनुभव।		स्वप्रमाणित अनुभव संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
13	एफ.एम.सी.जी. सुपरस्टॉकिस्ट कार्य का अनुभव।		स्वप्रमाणित अनुभव संबंधी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।

14	घी वितरक/सुपरस्टॉकिस्ट कार्य का अनुभव		स्वप्रमाणित अनुभव संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें।
15	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी एवं आश्रित परिवार का सदस्य नहीं है। (इस बाबत् रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड करा कर संलग्न करें।
16	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी को एमपीसीडीएफ/अन्य किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी कार्य हेतु टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत् का रू. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)		ब्लेक लिस्ट न किये जाने के संबंध में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट ''ब'' अनुसार संलग्न करें।
17	आवेदनकर्ता (सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी के विरूद्ध किसी भी थाने में वित्तीय अनियमित्ता संबंधी आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत् रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		आवेदन पत्र के परिशिष्ट 'स' पर संलग्न निर्धारित प्रारूप में रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र नोटराईज्ड कराकर संलग्न करें।
18	वर्तमान में वितरक/परिवहनकर्ता/वितरक सह–परिवहनकर्ता के रूप में कार्यरत है व आवेदन प्रस्तुत कर रहें है तो दुग्ध संघ का NOC (अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।		मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करें।

नोटः–

1. आवश्यक अर्हतायें पूर्ण न होने पर आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
2. आवेदन स्वीकृत होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. आवेदनकर्ता को आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न प्रपत्र क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 के सभी पृष्ठो पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। हस्ताक्षर न होने की स्थिति में आवेदन प्रपत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. एफ.एम.सी.जी. से तात्पर्य फास्ट मूविंग कन्जयूमर गुड्स है।

उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी चयन प्रक्रिया के दौरान/कार्य आवंटन के पश्चात/अनुबंध के पश्चात भविष्य में अनुबंधित अवधि में कभी भी असत्य पाये जाने पर साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट एजेंसी को निरस्त कर भोपाल दुग्ध संघ द्वारा मेरी सम्पूर्ण अमानत राशि राजसात की जा सकेगी जो मुझे मान्य है तथा ऐसा होने पर मेरे द्वारा कोई भी न्यायिक अथवा अन्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।

हस्ताक्षर ....

नाम——————————

पता——————————
——————————
——————————

दूरभाष नम्बर ——————————
मोबाईल नम्बर ——————————

अभिरूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु आवंटन एवं अनुबंध की शर्ते :–

1. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ स्वप्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य है।
2. आवेदनकर्ता को आवेदन के साथ रूपये 1,00,000/– (अक्षरी रू. एक लाख मात्र) डी.डी. अर्नेस्ट मनी (ई.एम.डी.) के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा, तथा ऐसे आवेदन स्वतः निरस्त माने जावेंगे। सफल आवेदनकर्ता का चयन होने पर उपरोक्त ई.एम.डी. राशि को प्रतिभूति राशि में समाहित कर लिया जाएगा।
3. सफल आवेदनकर्ता को दुग्ध संघ में आवेदन स्वीकृति सूचना उपरांत सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु निर्धारित प्रतिभूति राशि के रूप में रू.5000000/– (पचास लाख रूपये मात्र) (जिसमें रू. 2500000/– (पच्चीस लाख रूपये मात्र) की बैंक ग्यारंटी एवं रू.2500000/– (पच्चीस लाख रूपये) डी.डी./आर.टी.जी.एस/एन.ई.एफ.टी. द्वारा) जमा करना होगी, जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
4. आवेदनकर्ता के पास प्रपत्र क्र.01 में वर्णित अनुभव होना आवश्यक होगा। साथ ही विगत तीन वित्तीय वर्षों में कुल 35 करोड़ का न्यूनतम टर्न ओव्हर होना अनिवार्य होगा। टर्न ओव्हर को सत्यापित करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित एवं सील लगी बेलेंसशीट संलग्न करना अनिवार्य है।
5. प्राप्त आवेदकों में से सुपरस्टॉकिस्ट का चयन आवेदन फॉर्म में संलग्न विभिन्न पैरामीटर के लिए अधिकतम अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। जिस आवेदक के अधिकतम अंक होंगे उसे सुपरस्टॉकिस्ट हेतु चयनित किया जाएगा। यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के एक समान अंक प्राप्त होते है तो सुपरस्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदकों के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।
6. आवश्यक अर्हताओं में मांगे गए समस्त शपथ पत्र रू.100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक–पृथक मूल रूप से नोटराइज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
7. सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु सफल आवेदनकर्ता को सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण एवं गोडाउन की व्यवस्था करना होगी साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम 4 कवर्ड वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी। इस सबंध में आवश्यक दस्तावेज जैसे किराया अनुबंध अथवा वाहन रजिस्ट्रेशन भी जमा करवाने होगें।
8. सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु चयन उपरांत सुपरस्टॉकिस्ट को अपनी मांग कम से कम दो दिवस पूर्व दुग्ध संघ को लिखित में देना होगी, किन्तु दुग्ध संघ द्वारा उपलब्धता अनुसार मांग की पूर्ति की जा सकेगी।
9. सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की राशि का अग्रिम भुगतान RTGS के माध्यम से दुग्ध संघ को किया जाएगा। तदोपरांत ही मांग अनुसार आपूर्ति की जाएगी।
10. सुपरस्टॉकिस्ट को सॉची घी प्राप्त करते समय उसकी जॉच परख हर दृष्टि से सुनिश्चित कर लेना होगा। प्रदाय होने के पश्चात किसी भी प्रकार की टूट–फूट अथवा गुणवत्ता की जिम्मेदारी सुपरस्टॉकिस्ट की रहेगी।

11. सफल आवेदनकर्ता को सुपरस्टॉकिस्ट कार्य हेतु दुग्ध संघ की निर्धारित शर्तों के अनुसार रूपये 1000/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा। साथ ही सुपरस्टॉकिस्ट को तीन वर्ष के लिए नियुक्ति किया जावेगा, तत्पश्चात कार्य, वित्तीय व्यवहार, लक्ष्य पूर्ति, बाजार में व्यवसायिक साख इत्यादि बिन्दुओं की समीक्षा रिपोर्ट संतोषजनक होने पर एवं आपसी सहमति उपरांत प्रबंधन के निर्णय अनुसार एक–एक वर्ष कर दो वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी।

12. कार्यक्षेत्र में स्थित दुग्ध संघ से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों/विक्रेताओं/मॉडर्न ट्रेड/मॉल/सुपर बाजार/रिटेल चेन आदि को घी की प्रदायगी सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा की जाएगी। परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरकों/विक्रेताओं/मॉडर्न ट्रेड/मॉल/सुपर बाजार/रिटेल चेन के अंतर्गत आउटलेट्स में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या वे सीधे दुग्ध संघ से क्रय करना चाहते है तो दुग्ध संघ किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा। भविष्य में दुग्ध संघ द्वारा ई–रिक्शॉ मोबाइल साँची पार्लर इकाई के संचालन हेतु पृथक से सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक नियुक्त कर सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक दर पर घी प्रदाय करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

13. सुपरस्टॉकिस्ट को सम्पूर्ण जिले में निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा। जिले में वर्तमान कार्यरत घी वितरकों के माध्यम से विक्रय करना होगा। वितरकों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु दुग्ध संघ को प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति उपरांत घी वितरक को अनुबंधित कराना होगा।

14. सुपरस्टॉकिस्ट को प्रथम वर्ष में गतवर्ष के समान माह के विक्रय के आधार पर प्रतिमाह 15% वृद्धि करते हुए लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे जिसको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगामी वर्षों हेतु भी लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे। आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा मासिक आधार पर की जाएगी। मासिक समीक्षा में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को आगामी माह के लक्ष्य के साथ (Cummulative) संचय रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तीन माह के कार्य की समीक्षा में लक्ष्य प्राप्ति न होने की स्थिति में चेतावनी जारी की जाएगी 6 माह समीक्षा में लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। कार्य अवधि निरंतर रखने या निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार भोपाल दुग्ध संघ को होगा। (मासिक लक्ष्य का विवरण प्रपत्र–7 पर संलग्न है।)

15. सुपरस्टॉकिस्ट किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का घी विक्रय नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाए जाने पर दुग्ध संघ द्वारा कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

16. आवेदनकर्ता यदि वर्तमान में दुग्ध संघ में घी वितरक के रूप में कार्यरत है तो घी सुपरस्टॉकिस्ट के रूप में चयन होने के उपरांत घी वितरक कार्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा।

17. नेटवर्क स्थापित करने हेतु सुपरस्टॉकिस्ट को कम से कम 4 विक्रय प्रतिनिधि स्वयं के व्यय पर सम्पूर्ण जिले हेतु रखना होगा एवं आवश्यकता अनुसार वृद्धि करना होगी।

18. सुपरस्टॉकिस्ट विज्ञापन एवं ब्राण्ड प्रमोशन में पूर्ण सहभागिता देगा एवं आवश्यकता अनुसार प्रचार प्रसार हेतु फंड भी उपलब्ध करवायेगा।

19. किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

20. प्राप्त आवेदनों की समीक्षा गठित समिति के द्वारा की जावेगी एवं समिति अपनी अनुशंसा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

21. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

22. आवेदन स्वीकृत होने के बाद औपचारिकताएं पूर्ण करने हेतु पत्र जारी करने के 15 दिवस के अंदर किसी भी कारणवश कार्य आरंभ नहीं करने पर आवेदनकर्ता की अर्नेस्टमनी राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

23. **दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रक्त संबंधी रिश्तेदार एवं आश्रित परिवार के सदस्य न होने के संबंध में आवेदनकर्ता को निर्धारित परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू.100/— के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।**

24. **आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू.100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हो।**

25. **आवेदक को आवेदन के साथ इस आशय का निर्धारित परिशिष्ट ''स'' पर संलग्न प्रारूप अनुसार रू.100/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र नॉटराइज्ड कराकर संलग्न करना होगा कि आवेदक के विरूद्ध किसी भी थाने में वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई भी अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।**

26. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी वितरक, वितरक सह—परिवहनकर्ता, सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा इस प्रक्रिया में भाग लिया जाता है तो वर्तमान आवंटित कार्य से सबंधित लेनदारी—देनदारी का पूर्ण हिसाब कर किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराकर NOC आवेदन प्रपत्र के साथ परिशिष्ट 'द' पर निर्धारित प्रारूप में NOC प्राप्त कर आवेदन प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य। आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

27. वर्तमान में जिन पार्टियों/वितरक/वितरक सह—परिवहनकर्ता के विरूद्ध दुग्ध संघ का किसी भी प्रकार का प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन हो एवं आर.आर.सी की कार्यवाही प्रचलन में हो ऐसे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे एवं न ही ऐसे आवेदनकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर विचार किया जावेगा।

28. आवेदन प्रपत्र में संलग्न प्रपत्र क्रमांक ''05'' पर वर्णित अनुबंध की शर्तों का आवेदक पूर्ण रूप से अध्ययन कर लें। उक्त अनुबंध की शर्तें एवं कार्य आंवटन की शर्तों के अधीन सफल आवेदनकर्ता को अनुबंध निष्पादित कर कार्य संपादित करना होगा।

मेरे द्वारा साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन की समस्त शर्ते एवं अनुबंध की शर्ते पढ़ व समझ ली है तथा मैं/हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/है। आवेदन में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा आवेदन में प्रस्तुत जानकारी कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 28 तक वर्णित शर्तों को पालन नही करता हूँ, तो मेरा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का प्रबंधन द्वारा निर्णय लिया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

gLrk:kj

vkond dk uk) ,o| irk

i|i= Ø)kd $";

I kph ?kh I i j LVkfdLV gr vd rkfydk
7Hkkiky ftyk gr8

1. भोपाल जिले के लिए सॉची घी सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति के लिए निम्नानुसार अंक तालिका निर्धारित की गई है।

क्र.	विवरण	अंक पद्धति	अधिकतम अंक	प्राप्त अंक
1	एफ.एम.सी.जी. (फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स) वितरक कार्य का अनुभव।	प्रत्येक वर्ष के 2 अंक के मान से अधिकतम 10 अंक निर्धारित	10	
2	टर्न ओवर	विगत 03 वर्षों के कुल न्यूनतम टर्न ओवर रूपये 35 करोड़ पर 30 अंक एवं उसके ऊपर प्रत्येक 3 करोड़ पर 05 अंक अधिकतम दिये जाएंगे।	45	
2	स्वयं के उपलब्ध कवर्ड वाहन होने की स्थिति में संख्या	प्रतिवाहन 3 अंक	15	
3	एफ.एम.सी.जी. (फास्ट मूविंग कन्ज्यूमर गुड्स) सुपर स्टॉकिस्ट कार्य का अनुभव।	प्रत्येक वर्ष के 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक निर्धारित	15	
4	घी वितरक/सुपरस्टॉकिस्ट कार्य का अनुभव	प्रत्येक वर्ष के 3 अंक के मान से अधिकतम 15 अंक निर्धारित	15	
		कुल अंक	**100**	

नोट :— यदि दो या दो से अधिक आवेदकों के एक समान अंक प्राप्त होते है तो सुपरस्टॉकिस्ट का चयन समिति सदस्यों एवं उपस्थित आवेदको के समक्ष लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

gLrk:kj

vkond dk uk) ,o gL<kk:kj

प्रपत्र क्रमांक – 04

भोपाल जिले में साँची घी सुपरस्टॉकिस्ट हेतु आवेदन प्रपत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्वप्रमाणित)

1. आवेदक सोल प्रोपाईटरशिप फर्म / ....
पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का नाम ....
....

2. आवेदन के लिए अधिकृत सोल ....
प्रोप्राइटर फर्म / पार्टनर फर्म / ....
डायरेक्टर का नाम ....

3. पिता / पति का नाम – ....

4. सोल प्रोपराईटरशिप फर्म / पार्टनरशिप फर्म / कम्पनी का रजिस्टर्ड पताः–........................

....

....

....

5. भौक्षणिक योग्यता – ....

6. वर्तमान व्यवसाय – ....

7. विगत तीन वर्षों में टर्न ओव्हर – ....
(टर्न ओव्हर का सी.ए. द्वारा सत्यापित
प्रमाण पत्र संलग्न करें अन्य कोई दस्तावेज़ मान्य नहीं होगा।)

8. वित्तीय स्थिति (बैंक खाता नं.) – ....
(अ) वित्तीय वर्ष 2018–19 – ....
(कर निर्धारण वर्ष 2019–20)
आयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण

9. सुपर स्टॉकिस्ट हेतु आवश्यक – ....

पूँजी की व्यवस्था है अथवा
नही अंकित करें – ....

10. जी.एस.टी. नम्बर – ....

11. भण्डारण हेतु वर्तमान क्षमता/व्यवस्था
का विवरण दें – ....

12. धरोहर/ई.एम.डी. राशि – रू..

डी.डी.नं एवं दिनांक – ....

दिनांक प्रारूप 01 के साथ संलग्न हैं।

दिनांक

gLrk:kj

vkosnudrk ds gLrk:kj dk uke) ,oa irk
....
....
....
....
.

दुग्ध संघ के अध्यक्ष/संचालक/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का
शपथ पत्र का प्रारूप
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम – ....

पिता – ....

आयु – ....

निवासी – ....

01– भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा भोपाल जिले हेतु घी सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। मेरे द्वारा भोपाल जिले हेतु घी सुपर स्टॉकिस्ट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है। तत्संबंध में मैं शपथपूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मैं भोपाल दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय/प्राधिकृत अधिकारी किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरा रक्त संबंध नहीं है एवं मैं उनके किसी आश्रित परिवार का सदस्य नहीं हूं।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट 'ब'

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मीनेट नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूॅ कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित भोपाल जिले हेतु घी सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। यदि उक्त आवेदन स्वीकृत होता है तो मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मुझें एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया हैं।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट 'स'

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम –
पिता –
आयु –
निवासी –

1– मुझ शपथग्रहिता द्वारा भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल द्वारा आमंत्रित भोपाल जिले हेतु घी सुपरस्टॉकिस्ट आवेदन प्रक्रिया में भाग लिया गया हैं। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूं कि मेरे विरूद्ध किसी भी थाने में वित्तीय अनियमितता संबंधी कोई अपराधिक प्रकारण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हुँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है। जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए।

इति दिनांक .... भोपाल **हस्ताक्षर शपथग्राहिता ....**

परिशिष्ट 'द'

अनापत्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ....(सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी) वर्तमान में भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के साथ .... के रूप में कार्यरत है तथा आज दिनांक .... तक की स्थिती में उक्त सोल प्रोपाइटरशिप फर्म/पार्टनरशिप फर्म/कम्पनी पर भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल की कोई भी लेनदारी शेष नही है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

<u>प्रपत्र क्रमांक – 05</u>
<u>(अनुबंध शर्तों का प्रारूप)</u>

<u>अनुबंध पत्र</u>

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं ....(जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया हैं) के मध्य निम्नलिखित शर्तों पर साँची घी सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निष्पादित किया जाता हैं :–

1. यह अनुबंध विशुद्ध रूप से व्यावसायिक अनुबंध है तथा इसके तहत् सुपरस्टॉकिस्ट (द्वितीय पक्ष) को एक माह की पूर्व सूचना देकर दुग्ध संघ के हित में यह अनुबंध निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ(प्रथम पक्ष) का होगा। सुपरस्टॉकिस्ट (द्वितीय पक्ष) इस अनुबंध के तहत् कार्य नहीं करना चाहता है तो, उसे दुग्ध संघ (प्रथम पक्ष) को एक माह का लिखित अग्रिम नोटिस सुपरस्टॉकिस्ट का कार्य छोड़ने बावत् देना होगा। जिसमें दोनों पक्षों में लेखा मिलान संतोषप्रद होना आवश्यक रहेगा। अन्यथा प्रथम पक्ष(दुग्ध संघ) द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जाती है तो उसका हर्जा–खर्चा द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) से वसूल करने हेतु अधिकार प्रथम पक्ष सुरक्षित रखता है।
2. **अभिरूचि की अभिव्यक्ति, सभी कोरीजेंडम एवं आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें इस अनुबंध का हिस्सा होंगे।**
3. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को केवल साँची घी वितरण/विक्रय हेतु सम्पूर्ण.........................जिले के लिए पूर्णतः अस्थायी रूप से तीन वर्ष की अवधि हेतु सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त किया जाता है। जिसे लक्ष्य पूर्ति वित्तीय व्यवहार एवं कार्य रिपोर्ट संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से आगामी एक–एक वर्ष के लिए दो वर्षो तक बढ़ाया जा सकेगा।
4. यह कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा संघ में कुल प्रतिभूति राशि के रूप में रू.5000000/– (पचास लाख रूपये मात्र) (जिसमें रू.2500000/– (पच्चीस लाख रूपये मात्र) की बैंक ग्यारंटी एवं रू. 2500000/– (पच्चीस लाख रूपये मात्र) बी.आर./एम.आर क्र....................... दिनांक .... द्वारा) जमा की गई है, जमा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त (विक्रय वृद्धि की समीक्षा प चात) यदि प्रथम पक्ष द्वारा भविश्य में प्रतिभूति राशि में वृद्धि हेतु निर्देशित किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को वांछित प्रतिभूति राशि जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा कार्य समाप्त कर दिया जाएगा।
5. प्रथम पक्ष की निर्धारित नीति अनुसार प्रदाय होने वाले घी की राशि का अग्रिम भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को किया जाएगा। तदोपरांत ही मांग अनुसार आपूर्ति की जाएगी।
6. मांग एवं संघ में उपलब्धता अनुसार सॉची घी का प्रदाय उनके प्रचलित वजन/पैकिंग अनुसार प्रदाय किया जावेगा, जिसे द्वितीय पक्ष/सुपर स्टॉकिस्ट उसी ईकाई/केस/कर्टन (सॉची घी 01 लीटर, 1/2 लीटर, 1/5 लीटर एवं 05 लीटर व 15 कि.ग्रा. जार के पैक में) प्रदाय करेंगे एवं राशि वसूल करेंगे। किसी भी स्थिति में खुला सॉची घी का प्रदाय नहीं कर सकेंगे। साथ ही संयंत्र डाक से प्रातः 8:00 बजे से अपरान्ह 3:30 बजे के मध्य दिन में एक बार घी प्रदाय किया जावेगा।
7. यदि प्रथम पक्ष द्वारा यह पाया जाता है कि द्वितीय पक्ष lkph ?kh का विक्रय/वितरण समान रूप से वितरक/विक्रेताओं की मांग एवं समय अनुसार प्रदायगी नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रथम पक्ष तत्काल सीधे वितरकों को घी की आपूर्ति करने हेतु स्वतंत्र होगा एवं इस बात की पुष्टि करेंगे कि द्वितीय पक्ष/सुपरस्टॉकिस्ट द्वारा वितरकों की मांग पूर्ति किन कारणों से नहीं की जा रही है, यदि जानबूझकर लापरवाही की जा रही है तो उसी दिन से द्वितीय पक्ष को आवंटित सुपरस्टॉकिस्ट कार्य समाप्त करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

8. द्वितीय पक्ष को प्रथम वर्ष में गतवर्ष के समान माह के विक्रय के आधार पर प्रतिमाह 15% वृद्धि करते हुए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसको प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगामी वर्षों हेतु भी लक्ष्य आवंटित किये जाएंगे। आवंटित लक्ष्यों की समीक्षा मासिक आधार पर की जाएगी। मासिक समीक्षा में लक्ष्य प्राप्ति की कमी को आगामी माह के लक्ष्य के साथ (Cummulative) संचय रूप से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। दो माह के कार्य की समीक्षा में लक्ष्य प्राप्ति न होने की स्थिति में चेतावनी जारी की जाएगी 6 माह समीक्षा में लक्ष्य प्राप्त न होने की स्थिति में कार्य आवंटन निरस्त किया जा सकेगा। कार्य अवधि निरंतर रखने या निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष को होगा।

9. द्वितीय पक्ष को सम्पूर्ण जिले में प्रथम पक्ष के निर्देश अनुसार नेटवर्क स्थापित कर लक्ष्य अनुसार विक्रय करना आवश्यक होगा। आवंटित जिले में वर्तमान कार्यरत घी वितरकों के माध्यम से विक्रय करना होगा। वितरकों की संख्या बढ़ाए जाने हेतु प्रथम पक्ष को प्रस्ताव प्रेषित कर स्वीकृति उपरांत घी वितरक को अनुबंधित कराना होगा।

10. द्वितीय पक्ष किसी भी अन्य प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड का घी विक्रय नहीं कर सकेगा। ऐसा करते पाए जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाएगा।

11. यह कि द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा सॉची घी की वांछित मात्रा की मांग कम से कम 48 घण्टे पूर्व नियत समय अवधि तक अग्रिम लिखित/ई–मेल/ई.आर.पी सिस्टम के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी एवं उसी अनुसार माल उठाया जाना होगा, एक बार मांग दिये जाने पर उसमें किसी भी प्रकार की काट–छांट या पैकिंग मात्रा में संशोधन नहीं किया जावेगा।

12. यह कि द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) से उठायी गई सॉची घी मात्रा का लेखा–जोखा हर तरह से द्वितीय पक्ष रखेंगे, एवं प्रथम पक्ष/दुग्ध संघ द्वारा मांग किये जाने पर मय डी. एम एवं गेटपास की प्रति सहित प्रस्तुत करेंगे।

13. यह कि द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) घी प्राप्त करते समय हर तरह से (पैकिंग, गुणवत्ता, पैंकिंग तारीख, लीकेज़ इत्यादि) संतुष्ट होने पर ही प्राप्त करेंगे, सयंत्र से माल आपको अथवा अधिकृत प्रतिनिधि के सुपुर्दगी पश्चात प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा किसी भी प्रकार की शिकायत को मान्य नहीं किया जावेगा।

14. यह कि यदि स्थानीय क्षेत्रिय निकाय द्वारा किसी प्रकार का कर अथवा उपकर विक्रित होने वाले सॉची घी पर लगाया जाता है, तो उसका वहन द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा, प्रथम पक्ष उसमें किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं देगा।

15. यह कि द्वितीय पक्ष को आयकर पेन क्रमांक एवं विक्रय कर संबंधी किन्हीं भी प्रपत्रों की आवश्यकता हेतु कार्यालय में उक्त दोनों दस्तावेजों की छायाप्रति देना होगा। इसके अभाव में यदि प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) को किसी भी प्रकार की वैद्यानिक कार्यवाही अथवा आर्थिक शास्ती सरकार या अन्य किसी संस्था द्वारा की जाती है तो उसकी भरपायी द्वितीय पक्ष की जमा प्रतिभूति राशि से की जावेगी।

16. यह कि खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के तहत किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्था के अधिकारियों द्वारा यदि संघ द्वारा निर्मित घी के सेम्पल की मांग की जाती है तो द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) उन्हें सील बंद ईकाई (घी) देवेंगे, किसी भी स्थिति में खुला घी नही देंगे, अन्यथा प्रथम पक्ष किसी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही सेम्पल होने की सूचना तत्काल समय दूरभाष पर एवं पश्चात दस्तावेजी प्रतियां भी प्रथम पक्ष के कार्यालय में 24 घंटे की समय अवधि में देना अनिवार्य होगी।

17. यह कि द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा घी का वितरण परिवहन का कार्य स्वंय के परिवहन साधन एवं व्यय से करना होगा, इस हेतु पृथक से किसी प्रकार का भुगतान प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) द्वारा नहीं दिया जावेगा। द्वितीय पक्ष अन्य दुग्ध संघों के कार्यक्षेत्र में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सॉंची घी प्रदाय नहीं कर सकेगा।

18. यह कि द्वितीय पक्ष ''सॉंची घी'' के वितरण एवं विक्रय हेतु अधिकृत सुपरस्टॉकिस्ट नियुक्त है, अतः छोटे–छोटे व्यापारियों, वितरक, विक्रेताओं से मधुर व्यवसायी संबंध बनाकर रखना होगा, जिससें सॉची ब्राण्ड घी के विक्रय में अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें एवं प्रथम पक्ष के घी विक्रय में सहायता मिलती रहे।

19. द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा कार्यक्षेत्र में स्थित वितरकों आदि को प्रदायित घी की राशि स्वयं वसूलना होगी, इसके लिए प्रथम पक्ष (दुग्ध संघ) जिम्मेदार नहीं होगा।

20. कार्यक्षेत्र में स्थित प्रथम पक्ष से सीधे घी प्राप्त कर विक्रय करने वाले वितरकों, विक्रेताओं, मॉडर्न ट्रेड, मॉल, सुपर बाजार, रिटेल चेन आदि को घी की प्रदायगी द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा की जाएगी।

परन्तु यदि ऐसा पाया जाता है कि वितरकों, विक्रेताओं, मॉडर्न ट्रेड, मॉल, सुपर बाजार, रिटेल चेन के अंतर्गत आउटलेट्स में द्वितीय पक्ष (सुपरस्टॉकिस्ट) द्वारा प्रदायगी नहीं की जा रही या वे सीधे प्रथम पक्ष से क्रय करना चाहते है तो प्रथम पक्ष किसी भी दर पर सीधे प्रदाय हेतु स्वतंत्र होगा। भविष्य में प्रथम पक्ष द्वारा ई–रिक्शॉ मोबाइल साँची पार्लर इकाई के संचालन हेतु पृथक से सुपरस्टॉकिस्ट (वितरक) नियुक्त कर सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक दर पर घी प्रदाय करने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा।

21. द्वितीय पक्ष को लगभग 10 मैट्रिक टन सॉची घी के व्यवस्थित भंडारण हेतु गोडाउन क्षमता न्यूनतम 10 मैट्रिक टन की व्यवस्था करनी होगी। साथ ही वितरण कार्य में लगाये जाने वाले कम से कम 4 कवर्ड वाहन स्वयं के नाम अथवा अनुबंधित वाहन की व्यवस्था भी करनी होगी।
22. द्वितीय पक्ष की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में प्रथम पक्ष उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में कार्य आवंटित कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी प्रथम पक्ष के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। यह निर्णय लेने का अधिकार पूर्णतः प्रथम पक्ष को होगा।
23. अभिरूचि की अभिव्यक्ति में निर्धारित प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें इस अनुबंध का भाग मानी जाएंगी।
24. प्रथम पक्ष द्वारा समय–समय पर जो भी निर्देश सुपरस्टॉकिस्ट को पत्रो/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र इस अनुबंध का भाग माने जाएंगे।
25. यदि पक्षकारों के बीच इस कार्य के विषय में कोई विवाद उत्पन्न हुआ तो, प्रबंध संचालक, एमपीसीडीएफ को प्रकरण निराकरण हेतु प्रस्तुत किया जा सकेगा। निराकरण न होने की स्थिति में आरबीट्रेशन एक्ट 1996 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
26. किसी भी विवाद की स्थिति में इस अनुबंध का न्यायायिक कार्यक्षेत्र भोपाल शहर का न्यायालय रहेगाा।

उपरोक्त शर्तों एवं आवेदन प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तो पर दोनों पक्षों की सहमती से यह अनुबंध बिना किसी दबाव एवं पूर्ण चेतना में भोपाल सहाकरी दुग्ध संघ मर्यादित, भोपाल के कार्यालय में निम्न गवाहों के समक्ष निशपादित किया गया जो दोनों पक्षों को मान्य है।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष) मुख्य कार्यपालन अधिकारी भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. हबीबगंज, भोपाल – 462024	हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष) सुपरस्टॉकिस्ट (घी) नाम... पता ....

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम : ....
पताः..

हस्ताक्षर साक्ष्य –2
नाम : ....
पताः..

हस्ताक्षर साक्ष्य – 1
नाम :..
पताः ....

हस्ताक्षर साक्ष्य –2
नाम :..
पताः ....

i|i= Ø)k|d $ "/

(मार्जिन दर संरचना प्रारूप)

I|ijLVkfdLV nj					
Hkk|iky lgdkjh n|&'k l|?k);kfnr* Hkk|iky					
nj lj|puk lk|ph ?kh					
lk|ph ?kh $					
fooj=k	ifd|.	I|ijLVkfdLV nj	forjd nj	fjV|yj nj	?iHkk|6rk nj
lk|ph ?kh	!"" ,),y	87.20	88.30	91.50	100.00
	2"" ,),y	218.57	220.55	226.90	245.00
	# yhVj	428.24	432.50	445.50	480.00
	2 yhVj tkj	2188.70	2204.00	2240.00	2375.00
	#2 fd@.k@ tkj	7075.60	7104.00	7200.00	7500.00

I);$I); ij ?6r nj| ifjorUAkhy jg.hB

<u>प्रपत्र क्र.–07</u>

घी सुपर स्टॉकिस्ट भोपाल जिले हेतु सांची घी विक्रय लक्ष्य वर्ष 2021–22

क्र.	माह	गत वर्ष सामान माह के विक्रय में 15% वृद्धि अनुसार विक्रय लक्ष्य वर्ष 2021–2022 (कि.ग्रा.)
1.	अप्रैल	**46605**
2.	मई	**92397**
3.	जून	**79800**
4.	जुलाई	**74951**
5.	अगस्त	**105408**
6.	सितम्बर	**56808**
7.	अक्टूबर	**79994**
8.	नवम्बर	**50767**
9.	दिसम्बर	**58751**
10.	जनवरी	**42275**
11.	फरवरी	**97400**
12.	मार्च	**64115**
कुल योग		**849270**